

अनुसूची की धारा 1

- 1) इस अनुसूची के विधान की शर्तों के अधीन ही
- 2) किसी भी राज्य के विधान-समिति, संसदीय समिति या अन्य ऐसे किसी भी विधान या संसदीय समिति की शक्ति के अंतर्गत किसी व्यक्ति को इस अनुसूची के अंतर्गत रखा जा सकता है।
- 3) इस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाने वाला कोई भी अधिकारी विधान या संसदीय समिति का सदस्य नहीं होगा।

रमल खिन्नी केरल असासरीय संगठन

महाराज नगर निगम, जाल्मूर

संख्या क्रमांक 562 दिनांक 20/3/2020

धारा 41 के अंतर्गत नगर निगम के अधीन

रमल खिन्नी केरल असासरीय संगठन

के अंतर्गत रखा जाने वाला है।

संख्या क्रमांक 23666-30

दिनांक 20/3/2020 को जारी किया है।

जी 41
आवामीय

पं. 130-जी. 04 उच्च न्यायालय नगर।
राज मेवा (आवामीय सं. 4679/1)

(हस्ताक्षर)

महाराज नगर निगम
नगर निगम, जाल्मूर

रमल खिन्नी
9783104343